राजस्थान में उच्च शिक्षा अध्ययन में महिलाओं की सहभागिता एवं संभावनाओ का समीक्षात्मक विवेचन

(वर्ष 2001 से 2021 तक के संदर्भ में)

प्रस्तावना :–

सामाजिक विकास मे ंमहिला और पुरूष दोनो की भागीदारी यदि समान रहे तो विकास संतुलित स्थायी दीर्घावधिक एवं सकारात्मक होगा, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे समाज का आर्थिक उन्नति के साथ–साथ राजनीतिक परिपक्वता की ओर अग्रसर होना अवश्यसम्भावी है। विश्व के अनेकों देशो में महिलाओं की शिक्षा को उतनी ही प्राथमिकता दी जाती है जितनी की पुरूषों को, और ऐसी मानसिकता एक विकसित, स्वस्थ एवं समृद्ध समाज का प्रतीक है। भले ही देशो में जहाँ कि महिला शिक्षा का स्तर उच्च है, में अन्य सामाजिक कुरूतियों यथा कुलीन रहन सहन, पारिवारिक विवाद और एकल परिवार, अपव्यय आदि समाविष्ट हो चुकी है तथापि इन्हें विकसित राष्ट्र की श्रेणी में रखा जाता है क्योंकि यहॉ पर विकास का स्तर प्रति व्यक्ति आय, सामजिक सुरक्षा, वैचारिक खुलापन आदि सकारात्मक पहलु भी विद्यमान है जो कि विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्रों की श्रेणी में देखने को नही मिलते है।

अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रान्स,जर्मनी जापान जैसे देशो के विकास के पीछे संतुलित समाज विकास की अहम भूमिका है, जिसके कारण भले ही इन राष्ट्रो में एशियाई देशो की अपेक्षा आबादी प्रतिशत कम है परन्तु इनका आर्थिक विकास स्तर उच्च है। दूसरी ओर ऐशियाई व अफ्रीकी विकासशील व अल्पविकसित राष्ट्र भी है जहाँ आर्थिक पिछड़ापन,गरीबी, बेरोजगारी, सामाजिक शोषण, सामाजिक विद्वेष, अन्य कुप्रथाओं की गहरी जड़े विद्यमान है जिसके मूल कारण मे असम्मित शिक्षा परिदृश्य है।

भारत जैसे देश में भी यदि महिला और पुरूषो की शिक्षा के स्तर में तुलना की जाये तो महिलाओं की अपेक्षाकृत स्थिति पीछे ही है। वर्ष 1961 में भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत 15.4 ही था जबकि औसत साक्षरता 40.4 प्रतिशत थी। वर्ष 2001 में सकल साक्षरता प्रतिशत 75.2 हो गया परन्तु महिलाओ का प्रतिशत 53.7 ही हो पाया । वर्ष 2011 में राष्ट्रीय साक्षरता औसत 82.14 प्रतिशत रहा है जबकि महिलाओं ंका साक्षरता प्रतिशत 65.46 रहा है जो भारत में साक्षरता की स्थिति के संबंध लिंग आधार पर भिन्नता को स्पष्ट दर्शाता है। यदि भारत में साक्षरता की राज्यवर स्थिति को देखा जाये तो एक तरफ केरल जैसा राज्य है जहाँ महिला साक्षरता का प्रतिशत 91.98 है तो दूसरी ओर राजस्थान जैसा राज्य है, जहाँ महिला साक्षरता सभी केन्द्र शासित प्रदेश व राज्यों की तुलना में न्यूनतम (52.66 प्रतिशत) है। इस प्रकार केरल और राजस्थान की तुलना में ही लगभग 39.3 प्रतिशत का अन्तर है जो यह प्रदर्शित करता है कि भारत में महिला साक्षरता मे ंकाफी क्षेत्रीय विविधता है।

यदि राजस्थान के संदर्भ को लिया जाये तो यहाँ पर भी महिला और पुरूषो मे ंसाक्षरता प्रतिशत .में अन्तर दृष्टिगत होता है । राजस्थान में वर्ष 2011 में साक्षरता का सकल प्रतिशत 66.11 प्रतिशत रहा है । जिसमें पुरूष एवं महिला साक्षरता प्रतिशत क्रमशः 79.19 तथा 52.12 प्रतिशत रहे है। इस प्रकार महिला व पुरूष साक्षरता में 27 प्रतिशत से अधिक का अन्तर है। राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता जालौर (38.47 प्रतिशत) में अंकित हुई है तो अधिकतम साक्षरता प्रतिशत 39.3 जिला जयपुर (64.02 प्रतिशत) में रहा है। इस प्रकार महिला साक्षरता स्तर मे ंराज्य क्षेत्रीय विविधता की स्थिति परिलक्षित हो रही है। राज्य में उच्चतम व न्यूनतम मान मे ंलगभग 26 प्रतिशत का अन्तर है। राज्य में 60 प्रतिशत से अधिक महिला साक्षरता वाले केवल दो ही जिले–जयपुर व झुन्झूनु ही रहे है। जबकि 5

जिलों–गंगानगर, हनुमानगढ, अलवर, सीकर एवं अजमेर में यह महिला साक्षरता प्रतिशत मान 55 से 60 के बीच है।

स्कूली शिक्षा के क्षेत्र मेंवर्ष 2015–16 प्रति 100 लड़को की तुलना मे लडकियो का पंजीकरण 84.62 प्रतिशत रहा जो कि वर्ष 2016–17 में थोडा बढकर 85.02 प्रतिशत हो गया। इसका आशय यह है कि स्कूल शिक्षा के संदर्भ में अभी भी लगभग 15 प्रतिशत लडकियॉ शिक्षा से बाहर है।

इन सबसे आगे यदि भारत में उच्च शिक्षा की तस्वीर देखी जाये तो वर्ष 2017–18 के लिये देश में उच्च शिक्षा में सकल नामांकन लगभग 36.6 मिलियन रहा जिसमें से 17.4 मिलियन (47.6 प्रतिशत) लड़कियों का रहा है। अतः उच्चशिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता राष्ट्रीय औसत स्तर पर तो पुरूषो की अपेक्षाकृत लगभग उनके समान ही है परन्तु यदि इसमें प्रादेशिक एवं राज्यवार विविधता देखी जाये तो स्थितियॉ आश्चर्यजनक है। कुछ राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशो (जैसे चण्डीगढ, दादर व नगर हवेली दमन एवं द्वीप,गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल,लक्षद्वीप, मणिपुर मेघालय, नागालैण्ड, पांडिचेरी, सिक्किम, तमिलनाडू में महिलाओं का पंजीकरण स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों में पुरूषो की अपेक्षा अधिक है जबकि राजस्थान में इन पाठ्यक्रमों में महिलाओं का पंजीकरण 46.7 izfr'kr रहा है। स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय सकल स्तर पर महिलाओं का पंजीकरण पुरूषो की तुलना में अधिक है।

लेकिन राजस्थान के संदर्भ में भी स्नातकोत्तर, एम फिल, डाक्टरोल उपाधियों के लिये इन पाठ्यक्रमों मे महिलाओं का पंजीकरण मान तो अधिक किया जाये तो परिदृश्य भयावय है क्योंकि राज्य में उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता की यह तस्वीर कुछ बडें शहरों –जयपुर, उदयपुर, कोटा, जोधपुर, बीकानेर एवं कुछ बड़े जिला मुख्यालयों जैसे –भरतपुर, अलवर, सीकर, झुन्झूनु, चुरू में ही परिलक्षित हो रही है। जबकि राज्य के कई भागों में महिलाओं की सहभागिता अथवा छात्राओं

का महाविद्यालयों में पंजीकरण स्तर निराशाजनक हैं। ऐसी स्थिति में इस बात की आवश्यकता है कि राज्य में उच्च शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता का स्थितिजन्य विश्लेषण एवं सम्भावनाओं का विशद अध्ययन कर राज्य में उच्च शिक्षा में महिलाओ की सहभागिता की को सुदृढ किया जा सके।

शोध विषय चयन व अध्ययन क्षेत्र :–

राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में क्षेत्रीय भिन्नताओं एवं इनको प्रभावित करने वाली प्रादेशिक विषमताओं के संदर्भ में अध्ययन करने और इस आधार पर उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता हेतु सुधार अनुसंशित करने की दिशा मे प्रस्थापित शोध का विषय है। ''**राजस्थान में उच्चशिक्षा अध्ययन में महिलाओं की सहभागिता एवं सम्भावनाओं का समीक्षात्मक विवेचन**'' चयनित किया गया है।

इस प्रस्तावित अध्ययन हेतु राज्य के दो सम्भागों – जयपुर एवं भरतपुर के 9 जिलों को अध्ययन का क्षेत्र के रूप में चुना गया है ताकि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय विषमताओं एवं भिन्नताओं का महिला सहभागिता के संदर्भ में विश्लेषण किया जा सके।

अध्ययन की सीमा :–

1 यह अध्ययन केवल सामान्य उच्च शिक्षा के संदर्भ में ही निष्पादित किया गया है जिसमें तकनीकी,चिकित्सा संस्कृत शिक्षा के क्षेत्र सम्मिलित नहीं है।

2 यह अध्ययन राज्य में संचालित राजकीय महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं के संदर्भ में किया जाना प्रस्तावित है।

अध्ययन के उद्देश्य :–

1. राजस्थान में महाविद्यालयी सामान्य उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे छात्राओं के सकल नामांकन प्रतिरूप में क्षेत्रीय विविधताओं का सकारण विश्लेषण।
2. महिलाओं की उच्च शिक्षा में सहभागिता हेतु संस्थागत प्रयासों में क्रियान्वयन व प्रभाविता का विश्लेषण करना तथा इसमें भी क्षेत्रीय विविधताओं का आकलन करना।
3. राज्य में महाविद्यालयी शिक्षा में महिलाओं की सहभागिता में वृद्धि हेतु समस्याओं को चिन्हित करते हुए उनके तार्किक समाधान खोजना।

परिकल्पनाएँ

1. राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं के लिए समान अवसर उपलब्ध हैं।
2. सामाजिक अथवा आर्थिक अथवा दोनो परिवेश राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता में बाधा है।
3. संस्थागत प्रयासों के प्रभावस्वरूप राज्य में उच्च शिक्षा मे महिलाओं की सहभागिता मे वृद्धि हो रही है।

<u>शोध साहित्य समीक्षाः–</u>

रत्नावेणी एस (1991) ने शोध अध्ययन में उच्च शिक्षा में उत्तर प्रदेश में महिलाओं की वृद्धि व बाधाओं का अध्ययन किया । अध्ययन का मुख्य उद्देश्य कॉलेजो में महिलाओं की नामांकन वृद्धि को जानना, महिला कॉलेजो मे महिलाओं के नामांकन पर उनकी सामाजिक– आर्थिक स्थिति का प्रभाव जानना, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों मे छात्राओं को प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का अध्ययन करना। अध्ययन के बाद निष्कर्ष पाया कि कार्य करने वाली महिलाओं की निष्पत्ति उनकी धर्म, जाति, पिता की शिक्षा व व्यवसाय,पति की शिक्षा व परिवार की सामाजिक

आर्थिक स्थिति से प्रभावित थी। गृहणियों की निष्पत्ति उनके परिवार की आर्थिक स्थिति से प्रभावित थी।

चौधरी सुजीत कुमार (2007) ने उच्च शिक्षा में महिलाओं की स्थिति एवं व्यवसायिक भेदभाव के संबंध में संदर्भ स्त्रोत आंकड़ो से अध्ययन करते हुए निष्कर्ष स्थापित किया कि महिलाओं के उच्च शिक्षा में न्यूनतम भागीदारी तथा विभिन्न क्षेत्रों में कम प्रतिनिधित्व के लिए विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक कारक उत्तरदायी है तथा शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की पहुँच उच्च शिक्षा तक अधिक है उन्हे अपेक्षाकृत कम भेदभाव का सामना करना पड़ता है है।

सिंह रजनी रंजन (2007) ने सामाजिक, आर्थिक एवं राजनैतिक परिपेक्ष्य में महिला सशक्तिकरण की वास्तविकताओं का योजना एवं प्रयासो का तथ्यात्मक विवेचना से अध्ययन करते हुए अपने शोध पत्र से निष्कर्ष स्थापित किया कि भारत में महिलाओ के कल्याण एवं विकास की दशा में अनेक ठोस कदम उठाए गये हैं, फिर भी समयानुकुल इन नीतियों,योजनाओं एवं कार्यक्रमो की प्राथमिकता में बदलाव की महत्ती आवश्यकता है।

अवस्थी रीता एवं पाण्डेय उमाशंकर (2008) ने प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकता में विशेषकर बालिका शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन का जबलपुर (म. प्र.) सम्भाग के संदर्भ में पंजीकृत सरकारी आंकडो के माध्यम से अध्ययन कर निष्कर्ष स्थापित किया कि आर्थिक रुप से कमजोर माँ – बाप अपनी बालिकाओं को पढाई छुडवा कर मजदूरी पर लगावा देते हैं। साथ ही अधिक नशा वृत्ति सामाजिक दशाएँ भी उन्हे शिक्षा से विलग कर देती है है।

सिंह रघुराज (2009) ने वंचित वर्ग की बालिकाओं की उच्च अध्ययन में प्राप्ति में आने वाली समस्याओं का अध्ययन किया। अध्ययन में पाया कि वंचित वर्ग की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति सामान्य वर्ग की बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति के समान नहीं है। वंचित वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा पर सामाजिक प्रभाव अत्याधिक

पाया गया। वंचित वर्ग की बालिकाओं की उच्च अध्ययन प्राप्ति में मनोवैज्ञानिक, भौतिक व सामाजिक समस्याएँ समग्र प्रभाव डालती है।

बाबू भाई, पटेल राजेश कुमार (2011) ने हिन्दु, मुस्लिम लड़कियो की हीनता, असुरक्षा एवं आत्म विश्वाास के शैक्षिक संदर्भो का साबरकांठा जिले के सन्दर्भ मे सर्वेक्षण विधि से अध्ययन करते हुए पाया कि शिक्षित हिन्दु व मुस्लिम लड़कियों में आत्म विश्वास का स्तर उच्च है। हीन व निम्न शिक्षा से संदर्भित लड़कियों में असुरक्षा का भाव प्रबलता लिए हुए है। शिक्षा के स्तर व आत्मविश्वास को लेकर दोनों वर्गो की लड़कियो में सकारात्मक सहसम्बन्ध है।

शर्मिला एण्ड अल्बर्ट क्रिस्टोफर (2013) ने अपने लेख भारत में महिला शिक्षा का विकास में कहा कि महिला दुनिया की आबादी का लगभग आधा हिस्सा है। महिलाओं की शिक्षा किसी भी देश की स्वास्थ्य, पोषण और आर्थिक स्थिति में सुधार करने का सर्वोत्तम तरीका है । महिला शिक्षा में कमी देश के आर्थिक विकास में बाधा है। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार महिलाओ की साक्षरता दर 54.16 प्रतिशत तथा पुरूषो की 65.38 प्रतिशत है। अध्ययन में पाया कि ग्रामीण और शहरी महिला साक्षरता दर के बीच अंतर कम हो रहा है। महिला शिक्षा के लिए लडकियों के ड्राप आउट दर में कमी आवश्यक है।

रजिया सुल्तान (2013) ने आजादी के बाद दारागं जिले में महिला शिक्षा के विकास का अध्ययन किया अध्ययन में लिखा कि अतीत में बाल विवाह जैसी कुप्रथा महिला शिक्षा की मुख्य सामाजिक समस्या थी। समाज लडकियो को सहशिक्षा संस्थानो मे शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं देता था। गरीबी भी एक सबसे बडी रूकावट थी शिक्षा प्राप्त करने में। लडकियो की शिक्षा से सम्बन्धित सरकार द्वारा कोई योजनाओं का प्रावधान भी नहीं था। संचार बाधा के कारण जागरूकता का स्तर न्यून था। ग्रामीण इलाकों में शैक्षणिक संस्थान उपलब्ध नहीं होने के कारण भी महिला शिक्षा एक बडी समस्या थी।

गौरी श्रीवास्तव **(2013–14)** ने कस्तुरबा गॉधी बालिका विद्यालय योजना का विद्यालयों से विलग पिछड़े उपखण्डों की बालिकाओं का बिहार राज्य के नावदा जिले के अकबरपुर के संदर्भ में साक्षात्कार एवं प्रत्यक्ष चर्चा विधि से अध्ययन कर निष्कर्ष स्थापित किया कि योजना शिक्षा के विलग बालिकाओं के लिए लाभकारी है। अतः परिस्थितियों देखते हुए इस पांच वर्ष तक और बढाया जा सकता है, साथ ही उस खण्ड के अभिभावक योजना को लेकर जागरूक पाये गये।

रितेश महादिक (2015) ने अपने शोध पत्र में लिखा कि उच्च शिक्षा से तात्यर्य स्नातक व स्नातकोत्तर उपाधियों तक सीमित न होकर बल्कि उनकी उच्च स्तरीय सोच, व्यवहार रचनात्मक सोच, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक,धार्मिक आदि पहलुओ को भी शामिल किया गया है। समाज के विकास के लिए महिलाओं की उच्च शिक्षा में सहभागिता आवश्यक है जिससे महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों पर नियत्रंण हो पायेगा। राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव हेतु, मंहगाई में परिवार के आर्थिक नियोजन हेतु, स्वरोजगार हेतु भ्रष्टाचार दहेज–प्रथा एवं बाल विवाह आदि से मुकाबला कर उन्हें पराजित करना है तो महिलाओ को उच्च शिक्षित करना आवश्यक है। साथ ही संस्कृति की रक्षा, गिरता शिक्षा का स्तर, आदि के लिए जहाँ तक संभव हो महिलाओं को उच्च शिक्षित करने के लिए व्यापक और निरन्तर प्रयास होना चाहिए।

लोढा जितेन्द्र (2016) में ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सबलीकरण में शिक्षा की भूमिका का प्रशासनिक एवं नीतिगत पहलूओं को केन्द्र में रखकर, संदर्भ – विवेचना विधि से निष्कर्ष निकाला कि ग्रामीण महिलाओं का आर्थिक –विकास शिक्षा के ज्ञान, कौशल एवं अभिवृत्ति पक्षों से किंचित भी परे नहीं हो सकता इसलिए उसके योजनान्तर्गत पहलुओं की सफल क्रियान्वयन पर जोर दिया जाना आवश्यक है।

नसीम अख्तर (2016) जम्मू कश्मीर मे जिला बडगम के ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा का व्यैक्तिक अध्ययन किया गया । अध्ययन का उद्देश्य लड़कियों के शिक्षा

के परिदृश्य को समझना, शिक्षा प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को जानना, जिले में महिलाओं की शिक्षा के लिए सरकार द्वारा किये गये प्रयासो को जानना था। अध्ययन में पाया गया कि सरकार द्वारा महिलाओं की शिक्षा मे सुधार लाने के लिए कई प्रकार की योजनाएं संचालित की जा रही है फिर भी अधिकांश लोग आज भी स्कूल में लडकियो को भेजने में संकोच करते है। लोग धार्मिक शिक्षा के साथ महिला शिक्षा को जोडते है लोगो की अज्ञानता के कारण अभी भी महिला शिक्षा में कमी है।

कीर्तिका और अरोडा, वीपी एस प्रस्तुत शोध से सम्बन्धित शोध अध्ययन (2016) अपने रिसर्च पेपर '' महिलाओं के नामांकन : उच्च शिक्षा में मौजूदा रूझान'' में बताया कि उच्च शिक्षा के लिए नामांकन में लैगिक असमानता सबसे बड़ी गडबड है। इस पत्र के मुख्य उद्देश्य थे – उच्च शिक्षा में महिलाओं की नामांकन दर का अध्ययन करना। उच्च शिक्षा में महिलाओं के नामांकन के संकाय वार विवरण का विश्लेषण करना। विश्वविद्यालय और कॉलेजो में महिलाओं के राज्यवार नामांकन का पता लगाना। पुरूष व महिलाओं दोनो के लिए उच्च शिक्षा में संकल नामांकन अनुपात (GER) का अध्ययन करना।

दिशा (2017) अपने लेख में लिखा कि महिलाओ की शिक्षा एक विकट समस्या के रूप में परिलक्षित होती है।महिलाओं व बालिकाओं की शिक्षा राष्ट्रीय विकास का एक अभिन्न अंग है। धन की कमी के कारण उनकी शिक्षा में सुधार और विस्तार करने के लिए जा रहे कदम नजर नहीं आ रहे है। वर्तमान में भारतीय महिलाओं के बीच जागरूकता वास्तव में काफी महत्वपूर्ण रही है इन सारी बाधाओं के बावजूद भी महिलाओं की शिक्षा लगातार बढ रही है।

लोढा, जितेन्द्र (2017) ने अपने रिसर्च पेपर में बताया कि आजादी के इतने लम्बे समय बाद भी जेंडर के परिपेक्ष्य में स्त्री शिक्षा की स्थिति सोचनीय है। इस पेपर में बताया गया है कि जेंडर भेद को समाप्त करने के लिए केन्द्र व राज्य

सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई गयी है। इन्होने बताया कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे जेंडर समानता के लक्ष्य को भेदा जा सकता है।

मधु कुशवाहा और महिमा यादव (2017) ने अपने शोध पत्र में लिखा कि काशी हिन्दु विश्वविद्यालय के सत्र 2012–13 में शारीरिक रूप से चुनौती पूर्ण विद्यार्थियों के पंजीकरण जेंडर आडिट कर शारीरिक रूप में चुनौतीपूर्ण लडकियों की शैक्षिक स्थिति को समझने का प्रयास किया गया है। तथा उनकी शैक्षिक पहुँच को सीमित करने वाली सामाजिक, आर्थिक व सरचनात्मक बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है। तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण शिक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण सरकारी कदम है और निश्चित रूप से इससे लाभन्वित हो कुछ शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राएँ भी उच्च शिक्षा में पहुँच रही है। एक ओर जहाँ प्राथमिक व माध्यमिक स्तर पर ही शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण छात्राओं की संख्या बहुत कम है उच्च शिक्षा में आरक्षण की व्यवस्था पर्याप्त नही है इसलिए सरकार द्वारा ठोस ओर अधिक जेंडर संवेदनशील जमीनी हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है।

शंकर प्रसाद तिवाड़ी (प्रतियोगिता दर्पण, मई, 2018) द्वारा लिखे आलेख में स्वातंत्र्योत्तर काल में स्त्री शिक्षा के विकास हेतु प्रयास लेख में बताया गया था कि भारतीय संविधान में महिलाओं को पुरूषो के समान अधिकार प्रदान किये गये है तथा लिंग के आधार पर किसी भी नागरिक के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए । स्त्री को बराबरी का दर्जा दिलाने तथा स्त्री शिक्षा को बढावा देने के लिए तथा उच्च शिक्षा में महिलाओं के रूझान के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएँ चलाई गई है।

सिंह निर्मल (2018) शैक्षिक स्त्री विमर्शः तब और अब में उनकी साक्षरता दर चुनौतियों जैसी स्थितियों पर अपने शैक्षिक अध्ययन से यह निष्कर्ष स्थाापित किया

है कि महिलाओं की परिस्थतियों में लिंग भेद का दंश आज भी है, जिसके कारण उनकी शैक्षिक सहभागिकता न्यून स्तर की है। संविधान व योजनाओं के तले भी रिसाव की समस्या है, जो एक बाधक तत्व के रूप में उपस्थित है।

शोध में प्रयुक्त की जाने अनुसंधान विधि एवं प्रतिदर्श व्यवस्था :

प्रस्तावित शोध मूलतः सामान्य उच्च शिक्षा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण के राजकीय महाविद्यालयों पर केन्द्रित किया जाना है, तथापि तुलनात्मक दृष्टि सामान्य उच्च शिक्षा के निजी महाविद्यालयों का भी द्वितीयक समंक आधारित स्थितिपरक विवेचन इस अध्ययन में सम्मिलित किया जायेगा। प्रतिदर्श अध्ययन हेतु सामान्य उच्च शिक्षा के स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण के राजकीय महाविद्यालयों में से ही दैवीय प्रतिदर्श चयन आधार पर उद्देश्यपरक किया जाना है। वर्तमान में राजस्थान राज्य प्रशासनिक दृष्टि से कुल 07 सम्भाग एवं 33 जिलों में विभक्त है। सम्भाग विभाजन की रुपरेखा काफी हद तक भौगोलिक परिस्थितियों का अनुशरण करती है। राज्य में कुल 252 राजकीय महाविद्यालय हैं, जिनके कि जिलेवार संख्यात्मक वितरण में कोई समानता नहीं है। अतः इस अध्ययन हेतु 02 सम्भागों– जयपुर एवं भरतपुर का चयन करते हुए सम्भागवार 5–5 राजकीय महाविद्यालयों का चयन कर प्रतिदर्श अध्ययन किया जायेगा। प्रतिदर्श महाविद्यालय संस्था चयन के निम्न आधार प्रस्तावित हैं –

1. प्रत्येक सम्भाग से 5 राजकीय महाविद्यालयों का चयन किया जायेगा। अतः कुल 10 राजकीय महाविद्यालयों का चयन किया जायेगा।
2. प्रत्येक सम्भाग से चयनित महाविद्यालयों में आवश्यकरुप से 02 महाविद्यालय कन्या महाविद्यालय चयनित किये जायेंगे, ताकि सहशिक्षा एवं कन्या महाविद्यालयों में छात्राओं के नामांकन, सुविधाओं, अभिरुचि एवं समस्याओं का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जा सके।

3. चयनित महाविद्यालयों में आवश्यकरुप से 01 महाविद्यालय अनुसूचित जाति/ जनजाति, बाहुल्य आधारित यथा उपयुक्त, का चयनित किया जायेगा, ताकि समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व देखते हुए प्रस्तावित अध्ययन को सार्थकता प्रदान की जा सकें।

4. प्रत्येक सम्भाग से चयनित किये जाने वाले 5 राजकीय महाविद्यालयों में से 01 महाविद्यालय 1000 विद्यार्थी संख्या से कम संख्या वाला तथा 01 महाविद्यालय 3000 विद्यार्थी संख्या से अधिक संख्या वाला चयनित किया जायेगा, ताकि छोटे एवं बडे महाविद्यालयों की भी परस्पर तुलना की जा सके।

प्रतिदर्श चयन में विभिन्न प्रतिनिधि वर्ग निम्न प्रस्तावित हैं –

प्रतिदर्श के रुप में चयनित महाविद्यालयों से निम्न श्रेणी के उत्तरदाताओं को चयनित किया जाना प्रस्तावित है ताकि प्रस्तावित शोध अध्ययन कार्य में महिला शिक्षा की सहभागिता एवं सम्भावनाओं का गुणावगुण आधार पर विश्लेषण किया जा सके। इस प्रयोजनार्थ प्रत्येक चयनित महाविद्यालयों निम्न श्रेणी के उत्तरदाताओं का चयन किया जाना प्रस्तावित है –

1. महिला/छात्रा विद्यार्थी –35
2. प्राचार्य–01
3. छात्र्राओं से संबंधित कार्यक्रम/योजना प्रभारी/शिक्षक एवं अन्य –05
4. आयुक्तालय कालेज शिक्षा प्रतनिधि –05 (योजनानुरुप)
5. गैर सरकारी संगठन प्रतिनिधि –02
6. जन प्रतिनिधि – 02

प्रस्तुत शोध प्रयोजनार्थ प्रयुक्त किये जाने वाले उपकरण

1 आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की नामांकन व उत्तीर्ण विद्यर्थियो का क्षेत्र व वर्षानुसार स्थिति रिपोर्ट

2 राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान राजस्थान के महिला शिक्षा के प्रावधानों व प्रयासो की सम्भावनात्मक समीक्षा विवरण पत्र

3 उच्च शिक्षा में महिला सहभागिता कारक स्वनिर्मित प्रश्नावली राजस्थान के संदर्भ में

4 उच्च शिक्षा में सहभागिता के लैगिक बाधा मापनी (स्वनिर्मित)

5 सरकारी संस्थागत व योजनागत प्रयासों का महिला शिक्षा के योगदान की स्तर मापनी विकास में।

6 संदर्भित विषय के गौण स्त्रोत समंको का उद्देश्य व अध्यायनुसार प्रयोग।

अध्ययन की सार्थकताः

प्रस्तावित अध्ययन राजस्थान में उच्च शिक्षा अध्ययन में छात्राओं के रुझान, उनकी सहभागिता के स्तर एवं समस्याओं को चिन्हित करने एवं समाधान खोजने की दृष्टि से अपने आप में एक महत्वपूर्ण प्रयास होगा। इस अध्ययन के माध्यम से राज्य में छात्राओं की उच्च शिक्षा में संलग्नता में क्षेत्रीय एवं जिलेवार भिन्नता को ज्ञात कर उन्हें दूर करने की योजना ढूंढनी होगी ताकि राज्य में उच्च शिक्षा में महिला प्रतिशत को और बढाया जा सके। इसके अतिरिक्त ऐसी योजनाओं पर भी विचाार करना होगा जिनके माध्यम से गरीबी एवं सामाजिक परेशानियों के कारण उच्च शिक्षा से वंचित छात्राओं को लाभार्थी के रुप में जोडा जा सके।

संदर्भ

अहमद.के. (1974), वीमेन्स हायर एजुकेशन रीक्रूटमेन्ट एंड रेलीवेन्स इन ए सिंह एंड जी अल्तबेक (एडिट्स) दी हॉयर लर्निग इन इंडिया, विकास पब्लिंशिंग हाउस दिल्ली

बनर्जी,कांचना. (2003), परसिंस्टींग बायस, सहारा टाइम (वीकली न्यूजपेपर),जून 7

चौधरी सुजीत कुमार (2005), रोल ऑफ लैग्वेज इन एजुकेशन एंड फारमेशन आफ स्टेटस, जर्नल आफ इंडियन एजूकेशन नवंबर, एनसीईआरटी,नई दिल्ली।

दशोरा,राकेश एंड अनुश्री शर्मा (2003), रोल ऑफ ट्राइबेल –वीमेन इन एजुकेशन योजना पब्लिकेशन डिवीजन जून ।

गोरे, एम एस (1982), एजुकेशन एंड मार्डनाइजेशन इन इंडिया, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

गोरे, एम एस एंड ऐट एल (1970) फील्ड स्टडीज इन दि सोशियोलोजी आफ एजुकेशन आल इंडिया रिपोर्ट एन.सी.ई.आर टी, नई दिल्ली ।

इंडिया ईयर बुक 2001, मेनपावर प्रोफाइल, आई.ए.एम आर, नई दिल्ली

जयराम, एन. (1987), हायर एजुकेशन एंड स्टेटस रिटेन्स, मित्तल पब्लिकेशन, दिल्ली।

मुखोपाध्याय मर्मर (1999), हायर एजुकेशन : बेकबान ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इन मर्मर मुखोपाध्याय, मर्मर एंड मधु परहार (सं) इंडियन एजुकेशन डेवलपमेंट सिन्स इन डिपेडिस विकास पब्लिकेशन हाउस,नई दिल्ली।

मुखोपाध्याय एस (1981), वीमेन वर्कस इन इंडियाः ए केस आफ मार्केट सेगमेन्टेशन इन दि इंडियन लेबर फोर्स एआर टी ई पी बैंकाक।

पडोला,टी एस. (1982) वीमेन वर्क्स इन एन अर्बन लेबर मार्केटः ए स्टडी आफ सेग्रीनेशन एंड डीसक्रीमीनेशन इन इम्प्लायमेंट इन लखनऊ,गाईड (मिमियो)

साह, बी.बी. (1961) गुजराती कॉलेज स्टूडेंटस एंड कास्ट सोशियोलोजिकल बुलेटिन 10 (1)

शर्मा, बी.आर (1971) वाट मैक्स ए मैनेजरःमेरिट,मोटीवेशन एंड मनी इपीडब्ल्यु 7 (22)।

शर्मा, के एल. (2001) कान्सेपच्युलाइटिंग कास्ट, क्लास एंड ट्राइब, रावत पब्लिकेशन्स जयपुर।

एन सीई आर टी 1981, वेश्टेज एंड स्टेगनेशन इन प्राइमेरी एंड मिडिल स्कूल, नई दिल्ली।

भारत सरकार (2006) सलेक्टेड एजूकेशन स्टेटिक्स,मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), 2004–05, वार्षिक रिपोर्ट नई दिल्ली।

चौधरी ,सुजीत कुमार (2006) हायर एजुकेशन एण्ड सोशल स्ट्रटिफिकेशन इन इंडिया, मैनस्ट्रीम, अप्रैल 7–13।

EDUSEARCH-JSSN- 0976 -1160, Vol- 7, No. 1 April 2016, PP -12-23 Bilaspur (CG)

EDUSEARCH-ISSN- 0976 -1160, Vol- 7, No. 1 April 2016, PP -148-153 Bilaspur (CG)

परिपेक्ष्य –वर्ष –15, अंक –1 अप्रेल 2008 न्यू पा नई दिल्ली पृ. सं. 107–118

परिपेक्ष्य, वर्ष –14,अंक –3 दिस, 2007, न्यूपा, नई दिल्ली, पृ. स. –51–56

परिपेक्ष्य, वर्ष –14, अंक –4 अप्रैल, 2017, न्यूपा, नई दिल्ली, पृ. स. –51–67

Reseach wavs, Year -2 Vol-10; अक्टूबर 2011, पृ.सं. 43–45, गांधीनगर, गुजरात।

भारतीय आधुनिक शिक्षा; वर्ष 38, अंक –3 जनवरी –2018, पृ.स. 86–93, NCEVT -नई दिल्ली